न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 18/2021

1. अभिमन्यु पुत्र जोधाराम जाति मेघवाल, निवासी बिसाऊ,तहसील जिला झुन्झुनूं।
2. कृष्ण कुमार पुत्र जोधाराम जाति मेघवाल, निवासी बिसाऊ,तहसील जिला झुन्झुनूं।
3. सूर्य प्रकाश पुत्र जोधाराम जाति मेघवाल, निवासी बिसाऊ,तहसील जिला झुन्झुनूं।

–अपीलार्थी

–बनाम–

1. नायब तहसीलदार बिसाऊ, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।
2. रामनिवास पुत्र जोधाराम जाति मेघवाल निवासी बिसाऊ तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।

– रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ
उनवानी सरकार बनाम अभिमन्यु अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 82/2020 निर्णय दिनांक 10.03.2021

उपस्थितिः–

1 श्री विनोद कुमार गिल सैनी, एडवोकेट ––––– –––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट–––––––––––––––––रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 25.04.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.3.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम अभिमन्यु मु0नं0 82/2021 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– अपीलार्थीगण को धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस गलत दिये गये हैं। उक्त भूमि गत खसरा नंबर 711 रकबा 105 बीघा 16 बिश्वा ठिकाना बिसाऊ की जागीर में थी। ठिकाना बिसाऊ ने सन 1954 में उक्त भूमि में से 10 बीघा भूमि काश्त हेतु लोढिया पुत्र जोराराम चमार को दी। सन 1954 में [illegible] प्रति बीघा के हिसाब से लगान ठिकाना बिसाऊ ने प्राप्त किया। सन 1954 जेठ सुदी 11 स[illegible] 2011 से उक्त भूमि लोढिया पुत्र जोराराम काश्त करने लगा व काबिज रहा। लोढिया के कोई पुत्र संतान नहीं थी। एक मात्र पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:32:42 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

बनारसी देवी थी । बनारसी देवी के पति का नाम जोधाराम पुत्र सूरजाराम था। बनारसी देवी ने जीवन प्रर्यन्त उक्त भूमि को काश्त किया। अपीलार्थीगण व रेस्पोडेंट नंबर 2 बनारसी देवी व जोधाराम के पुत्रगण हैं। उक्त भूमि को अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट नंबर 2 अपने पूर्वजों के मय से काश्त करते हैं व काबिज हैं, फिर भी अदालत मातहत ने अपीलार्थीगण व रेस्पोन्डेन्ट नंबर 2 के विरूद्ध निर्णय पारित करने में गलती कानूनी की है। अपीलार्थी व रेस्पोडेकन्ट नंबर 2 उक्त भूमि में पुख्ता मकानात बनाकर आबाद है, विद्युत सम्बन्ध ले रखा है। गत खसरा नंबर 211 से ही हाल खसरा नंबर 1296 बने हैं। अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट नंबर 2 उक्त भूमि पर लेण्ड रेवन्यु एक्ट के प्रभाव में आने से पूर्व से आबाद हैं, इसलिये अपीलार्थीगण व रेस्पोडेंट नंबर 2 अतिक्रमी नहीं है। ठिकाना को उस समय भूमि देने का अधिकार था और ठिकाना समय से से ही अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट नंबर 2 उक्त भूमि पर काबिज काश्त है फिर भी अदालत मातहत ने अपीलार्थीगण व रेस्पोडेंट नंबर 2 के विरूद्ध निर्णय पारित करने में गलती कानूनी की है।

अपीलांट का कथन है कि अदालत मातहत ने अपीलार्थीगण को संयुक्त नोटिस दिये हैं जो कानूनन गलत हैं, धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही संयुक्त नोटिस देकर नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी के पिता जोधाराम को खसरा नंबर 1983 व 1985 में नोटिस दिये गये हैं,। नायब तहसीलदार के फैसले के विरूद्ध अपील जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष की गई। जिला कलक्टर महोदय के आदेश दिनांक 7.9.1987 के विरूद्ध अपील राजस्व अपील अधिकारी सीकर के समक्ष की गई जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि यदि अपीलार्थीगण का कब्जा दिनांक 1.7.1975 से पूर्व का हो तो नियमन की कार्यवाही की जावे। अपीलार्थीगण का कब्जा सन 1954 से है, यह दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है। जब एक बार नियमन की सिफारिश हो गयी तो उस प्रकरण में धारा 91 की कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकती। अदालत मातहत ने निर्णय जवाब नोटिस के साथ सलंगन दस्तावेजों व साक्ष्य के विपरित जाकर किया गया है,इसलिये काबिले खारीज है। उक्त भूमि की किश्म चारागाह भूमि नहीं है, दिनांक 2.2.1988 के फैसले में उक्त भूमि की किश्त गै.मु. पहाड़ है। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 10.3.2021 को निरस्त [illegible] या पत्रावली इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जावे कि दिनांक 1.7.1975 के पूर्व के [illegible] के तथ्यों का विश्लेषण कर पुनःगुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:32:42 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– उक्त भूमि गत खसरा नंबर 711 रकबा 105 बीघा 16 बिश्वा ठिकाना बिसाऊ की जागीर में थी। ठिकाना बिसाऊ ने सन 1954 में उक्त भूमि में से 10 बीघा भूमि काश्त हेतु लोढिया पुत्र जोराराम चमार को दी। सन 1954 में एक रूपया प्रति बीघा के हिसाब से लगान ठिकाना बिसाऊ ने प्राप्त किया। सन 1954 जेठ सुदी 11 सम्वत 2011 से उक्त भूमि लोढिया पुत्र जोराराम काश्त करने लगा व काब्जि रहा। लोढिया के कोई पुत्र संतान नहीं थी। एक मात्र पुत्र बनारसी देवी थी । बनारसी देवी के पति का नाम जोधाराम पुत्र सूरजाराम था। बनारसी देवी ने जीवन प्रर्यन्त उक्त भूमि को काश्त किया। अपीलार्थीगण व रेस्पोडेंट नंबर 2 बनारसी देवी व जोधाराम के पुत्रगण हैं। उक्त भूमि को अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट नंबर 2 अपने पूर्वजों के मय से काश्त करते हैं व काबिज हैं, फिर भी अदालत मातहत ने अपीलार्थीगण व रेस्पोन्डेन्ट नंबर 2 के विरूद्ध निर्णय पारित करने में गलती कानूनी की है। अपीलार्थी व रेस्पोडेकन्ट नंबर 2 उक्त भूमि में पुख्ता मकानात बनाकर आबाद है, विद्युत सम्बन्ध ले रखा है। गत खसरा नंबर 211 से ही हाल खसरा नंबर 1296 बने हैं। अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट नंबर 2 उक्त भूमि पर लेण्ड रेवन्यु एक्ट के प्रभाव में आने से पूर्व से आबाद हैं, इसलिये अपीलार्थीगण व रेस्पोडेंट नंबर 2 अतिक्रमी नहीं है। ठिकाना को उस समय भूमि देने का अधिकार था और ठिकाना समय से से ही अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट नंबर 2 उक्त भूमि पर काबिज काश्त है फिर भी अदालत मातहत ने अपीलार्थीगण व रेस्पोडेंट नंबर 2 के विरूद्ध निर्णय पारित करने में गलती कानूनी की है। अदालत मातहत ने अपीलार्थीगण को संयुक्त नोटिस दिये हैं जो कानूनन गलत हैं, धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही संयुक्त नोटिस देकर नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी के पिता जोधाराम को खसरा नंबर 1983 व 1985 में नोटिस दिये गये हैं,। नायब तहसीलदार के फैसले के विरूद्ध अपील जिला क[illegible]होदय के समक्ष की गई। जिला कलक्टर महोदय के आदेश दिनांक 07.9.1987 के विरूद्ध [illegible] राजस्व अपील अधिकारी सीकर के समक्ष की गई जिसमें माननीय न्यायालय [illegible]पीलार्थीगण का कब्जा दिनांक 01.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:32:42 IST
Reason: Self Attested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

7.1975 से पूर्व का हो तो नियमन की कार्यवाही की जावे। अपीलार्थीगण का कब्जा सन 1954 से है, यह दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है। जब एक बार नियमन की सिफारिश हो गयी तो उस प्रकरण में धारा 91 की कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकती। अदालत मातहत ने निर्णय जवाब नोटिस के साथ सलंगन दस्तावेजों व साक्ष्य के विपरित जाकर किया गया है, इसलिये काबिले खारीज है। उक्त भूमि की किश्म चारागया भूमि नहीं है, दिनांक 2.2.1988 के फैसले में उक्त भूमि की किश्त गै. मु. पहाड़े है। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 10.3.2021 को निरस्त किया जावे या पत्रावली इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जावे कि दिनांक 1.7.1975 के पूर्व के कब्जे के तथ्यों का विश्लेषण कर पुनःगुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 1296 रकबा 1.80 हैक्टर किस्म गै0मु0 चारागाह में से 1.75 हैक्टर भूमि पर बाड़ करके कब्जा कर अवैध अतिक्रमण किया है। पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि – उक्त भूमि गत खसरा नंबर 711 रकबा 105 बीघा 16 बिश्वा ठिकाना बिसाऊ की जागीर में थी। ठिकाना बिसाऊ ने सन 1954 में उक्त भूमि में से 10 बीघा भूमि काश्त हेतु लोढिया पुत्र जोराराम चमार को दी। सन 1954 में एक रूपया प्रति बीघा के हिसाब से लगान ठिकाना बिसाऊ ने प्राप्त किया। सन 1954 जेठ सुदी 11 सम्वत 2011 से उक्त भूमि लोढिया पुत्र जोराराम काश्त करने लगा व काबिज रहा। लोढिया के कोई पुत्र संतान नहीं थी। एक मात्र पुत्र बनारसी देवी थी । बनारसी देवी के पति का नाम जोधाराम पुत्र सूरजाराम था। बनारसी देवी ने जीवन प्रर्यन्त उक्त भूमि को काश्त किया। अपीलार्थीगण व रेस्पोडेंट नंबर 2 बनारसी देवी व जोधाराम के पुत्रगण हैं। उक्त भूमि को अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट नंबर 2 अपने पूर्वजों के मय से काश्त करते हैं व काबिज हैं, फिर भी अदालत मातहत ने अपीलार्थीगण व रेस्पोन्डेन्ट नबर 2 के [illegible] निर्णय पारित करने में गलती कानूनी की है। अपीलार्थी व रेस्पोडेकन्ट नंबर 2 उक्त भूमि में [illegible] मकानात बनाकर आबाद है, विद्युत सम्बन्ध ले रखा है। गत खसरा नंबर 711 से ही [illegible] खसरा नंबर 1296 बने हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:32:42 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट नंबर 2 उक्त भूमि पर लेण्ड रेवन्यु एक्ट के प्रभाव में आने से पूर्व से आबाद हैं, इसलिये अपीलार्थीगण व रेस्पोडेंट नंबर 2 अतिक्रमी नहीं है। ठिकाना को उस समय भूमि देने का अधिकार था और ठिकाना समय से से ही अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट नंबर 2 उक्त भूमि पर काबिज काश्त है । अदालत मातहत ने अपीलार्थीगण को संयुक्त नोटिस दिये हैं जो कानूनन गलत हैं, धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही संयुक्त नोटिस देकर नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी के पिता जोधाराम को खसरा नंबर 1983 व 1985 में नोटिस दिये गये हैं,। नायब तहसीलदार के फैसले के विरूद्ध अपील जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष की गई। जिला कलक्टर महोदय के आदेश दिनांक 07.9.1987 के विरूद्ध अपील राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के समक्ष की गई जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि यदि अपीलार्थीगण का कब्जा दिनांक 01.7.1975 से पूर्व का हो तो नियमन की कार्यवाही की जावे। अपीलार्थीगण का कब्जा सन 1954 से है, यह दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है। जब एक बार नियमन की सिफारिश हो गयी तो उस प्रकरण में धारा 91 की कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकती।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जमाबंदी सम्वत 2041 से 2044 ग्राम बिसाऊ के अवलोकन से विवादित भूमि खसरा नंबर 711 में कुछ व्यक्तियों गोदूराम पुत्र भूराराम, घड़सीराम पुत्र हनुमान, पूर्ण पुत्र रतनाराम, बुद्धराम पुत्र मीनाराम, माला पुत्र चुन्नाराम , मोहन पुत्र भूरा, लिछमण पुत्र जोरा, हनुमान को नियमन किया जाकर खातेदारी दी जा चुकी है। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी,सीकर के मुकदमा संख्या 334/87/झुंझुनू निर्णय दिनांक 02.2.1988 के द्वारा भूमि खसरा नंबर 711 के संबंध में नायब तहसीलदार, मलसीसर को इस आशय के साथ रिमाण्ड की गई थी कि प्रार्थी को अपने पट्टे की वैद्यता को और कब्जे को सिद्ध करने के लिये समुचित अवसर प्रदान करें और नियमानुसार विधिवत कार्यवाही करें और यदि वे यह पाये कि अपीलांट का कब्जा 1.7.1975 से पूर्व का है तो नियमन की कार्यवाही करें, अन्यथा बेदखली करें। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि ठिकाना बिसाऊ ने सन 1954 में उक्त भूमि में से 10 बीघा भूमि काश्त हेतु लोढिया पुत्र जोराराम चमार को दी। सन 1954 में एक [illegible] बीघा के हिसाब से लगान ठिकाना बिसाऊ ने प्राप्त किया। सन 1954 जेठ सुदी 11 सम्वत [illegible]11 से उक्त भूमि लोढिया पुत्र जोराराम काश्त करने लगा व काब्जि रहा और उसके बाद [illegible] वारिसान काबिज काश्त है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:32:42 IST
Reason: SelfAttested

अपने इस कथन के समर्थन में भूतपूर्व जागीर ठिकाना बिसाऊ की एक लिखावट/सनद की फोटो कापी भी प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बिसाऊ ने अपीलांट द्वारा उठाये गये इन तमाम तथ्यों के संबंध में अपने निर्णय में कोई विवेचना नहीं की है। प्रकरण में अपीलांट का काफी पुराना कब्जा प्रतीत होता है। विवादित भूमि में कुछ भूमि का नियमन किया जाकर खातेदारी दी गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2021 उनवानी सरकार बनाम अभिमन्यु आदि मु0नं0 82/2020 निरस्त किया जाता है । प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि का स्वयं मौका निरीक्षण कर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये अपीलांट के पुराने कब्जे के संबंध में उपरोक्त विवेचन के अनुसार विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में पुराने कब्जे आदि के संबंध में दिये गये निर्देशों एवं राजस्व रिकार्ड की पूर्ण विवेचना करते हुये पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें । मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 25.4.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:32:42 IST
Reason: SelfAttested